न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2023 नामांतरकरण अपील

1. नवल पुत्र सुवालाल
2. किस्तूरा पुत्र सुवालाल
3. भौरीलाल पुत्र सुवालाल
4. रामचन्द्र पुत्र सुवालाल
   समस्त जाति माली निवासी बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील बहरावण्डा दिनांक 19.6.2020 नामांतरकरण संख्या 367 ग्राम बहरावण्डा जिला दौसा अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—: श्री उमेश कुमार गौड़ अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः 24.12.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पूर्व खसरा नम्बर 2602 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय जमाबंदी सम्वत 2008 लगा. 2022 में गै0मु0 सिवायचक भूमि दर्ज थी। भूमि एकीकरण की कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि के खसरा नम्बर परिवर्तित कर खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कायम किये गये। भू आवंटन अधिकारी ने उक्त खसरा नम्बर 1032 दिनांक 25.6.1965 को रामदेव पुत्र गोविन्दा के नाम आवंटित कर दी। बाद आवंटन आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 2711.1972 को आवंटी के नाम दर्ज कर दिया गया। आवंटी रामदेव की मृत्यु के बाद उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण सं0 482 सुवा पुत्र रामेदव के नाम नामान्तरित की गई। जमाबंन्दी संवत 2057 लगा 2060 में खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि सुवा पुत्र रामदेव के नाम खातेदारी में अंकित हुई। खातेदार सुवा पुत्र रामदेव की मृत्यु दिनांक 21.1.2003 को हो गई। जिसके बाद अपीलांट उक्त भूमि के भूप्रबन्ध हाल में परिवर्तित खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.53 है0 पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। भूमि आवंटन से पूर्व कभी तलाई की भूमि नहीं रही, भूमि समतल है पानी भराव नहीं होता है। आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.53 है0 के पूर्व खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बहरावण्डा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुरूप अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को रेफरेन्स हेतु आवेदन पेश किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण सं0 74/2006 बनाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में [illegible] एल आर 10275/2008 दौसा दिनांक 2.2.2018 को रेफरेन्स स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बहरावण्डा को गै0मु0 तलाई के रूप में अंकित करने हेतु तहसीलदार सिकराय को आदेश फरमा दिया गया। तत्कालीन उप तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.6.2020 को नामान्तरकरण सं. 367 को बिना अंपीलांट को सूचना व सुनवाई अन्य खसरा नम्बर के साथ इस खसरा नम्बर 1693 को गै0मु0 तलाई के रूप में अंकित कर दिया। उप तहसीलदार बहरावण्डा ने प्रश्नगत नामांतरकरण में खातेदार का नाम अंकित किये बिना पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.6.2018 को निर्णय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नामांतरकरण दर्ज किया व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.6.2020 को जांच की गई तथा दिनांक 19.6.2020 को प्रश्नगत नामांतरकरण आदेश पारित कर दिया। अपीलांट्स द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण दिनांक 19.6.2020 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामांतरकरण पटवारी हल्का दिनांक 18.6.2018 को आराजी खसरा नबर 1963, 1964 व 708 को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की पालना में भरा जिसमें सुवा पुत्र रामदेव जाति माली सम्पूर्ण खाता यूबीओई बैंक शाखा बहरावण्डा मुर्तहीन अंकित किया गया है जबकि खातेदार सुवा पुत्र रामदेव माली का देहावसान दिनांक 21.1.2003 को ही हो गया था। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की तिथि अंकित नहीं की है किन्तु निर्णय दिनांक 2.2.208 का है जो एल आर 10275/2008 दौसा पर पारित हुआ है। मृतक खातेदार के विरूद्ध निर्णय एवं मृतक खातेदार के उत्तराधिकारीगण अपीलांट्स का नाम अंकित किये बिना कोई सूचना दिये पारित प्रश्नगत नामांतरकरण दिनांक 19.6.2020 अवैध एवं प्रभावशून्य है। आराजी अंकित नामांतरकरण खसरा नम्बर 1963 पर अपीलांट्स अपने बाबा के जीवनकाल से ही काबिज रहकर निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। माननीय राजस्व मण्डल में अपीलांट्स द्वारा निर्णय दिनांक 2.2.2018 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका में तहसीलदार पक्षकार है तथा प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है। राजस्व मण्डल में सरकार द्वारा मृतक के उत्तराधिकारीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उप तहसीलदार ने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व नामांतरकरण तस्दीक करने के लिये नियम 121(4) राज. भू राजस्व अधिनियम की कतई पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.6.2020 निरस्त फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट्स द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत नामांतरकरण सं. 367 दिनांक 19.6.2020 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दर्ज रेफरेन्स एल आर 10275/2008 दौसा दिनांक 2.2.2018 की पालना में खोला गया है। साथ ही अपीलांट्स द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान के उक्त निर्णय दिनांक 2.2.2018 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका पेश किया जाना भी व्यक्त किया है। माननीय राजस्व मण्डल में पुनर्विचार याचिका भी विचाराधीन होना व्यक्त किया गया है। अतः इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दर्ज रेफरेन्स एल आर 10275/2008 दौसा दिनांक 2.2.2018 को रेफरेन्स स्वीकार होने पर उक्त निर्णय की पालना में प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 367 दिनांक 19.6.2020 खोला गया है। अपीलांट्स द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 2.2.2018 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका पेश करना अवगत कराया गया है। किन्तु उक्त संदर्भ में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है और न ही कोई स्थगन आदेश होना व्यक्त किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पुनर्विचार याचिका विचाराधीन होने की स्थिति में अपील इस न्यायालय में चलाये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामांतरकरण संख्या 367 दिनांक 19.6.2020 ग्राम बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:11:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा